न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

दायर दिनांकः 26.07.2021

प्रार्थना–पत्र संख्या :–93 / 2021
GCMS NO:- 2021/198
पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. गिरिराज पुत्र गोपीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम रामपुरिया तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. छोटी पत्नी गोपीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम रामपुरिया तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. राजन्ती पुत्री गोपीलाल पत्नी मनराज जाति धाकड हाल निवासी ग्राम चोरु तहसील उनियारा जिला टोंक।
4. लाड पुत्री गोपीलाल पत्नी भंवरलाल जाति धाकड निवासी ग्राम कैथुदा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. रामलाल पुत्र गोपीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम रामपुरिया तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. शंकरलाल पुत्र चतुरभुज जाति धाकड निवासी ग्राम रामपुरिया तहसील नैनवां जिला बून्दी।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. मोहन पुत्र गोपीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम रामपुरिया तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. रमेश चन्द पुत्र जगन्नाथ जाति धाकड निवासी ग्राम रामपुरिया तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. कोकला बाई पत्नी प्रकाश जाति धाकड निवासी ग्राम रामपुरिया तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. लाड बाई पत्नी रामराज जाति धाकड निवासी ग्राम रामपुरिया तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. सूरजा पत्नी कमलेश जाति धाकड निवासी ग्राम रामपुरिया तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. सोभागी पत्नी भरतराज जाति धाकड निवासी ग्राम रामपुरिया तहसील नैनवां जिला बून्दी।
7. जगदीश पुत्र बरधा जाति धाकड निवासी ग्राम रामपुरिया तहसील नैनवां जिला बून्दी।
8. अनिता पुत्री गोपी बालिग पत्नी जगदीश जाति धाकड हाल निवासी धाकडो का रामपुरा ग्राम पंचायत ककोड तहसील उनियारा जिला टोंक।
9. छोटया उर्फ सुवालाल पुत्र मूल्या बालिग जाति धाकड हाल निवासी ग्राम चोरु तहसील उनियारा जिला टोंक।
10. फरमा बाई पत्नी गोपी जाति धाकड हाल निवासी ग्राम चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक।
11. ममता पुत्री गोपी बालिग पत्नी राजाराम जाति धाकड हाल निवासी ग्राम बालापुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
12. महावीर पुत्र गोपी जाति धाकड हाल निवासी ग्राम चोरू तहसील उनियारा जिला टोंक।
13. रामधन पुत्र बरधा जाति धाकड निवासी ग्राम रामपुरिया तहसील नैनवां जिला बून्दी।
14. भू–स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।
15. एस बी आई शाखा नैनवा जिला बून्दी शाखा प्रबन्धक महोदय, शाखा नैनवॉ जिला बून्दी।
16. एस.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड शाखा सवाई माधोपुर, शाखा प्रबन्धक महोदय, शाखा सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर।
17. बैंक ऑफ बडौदा शाखा नैनवा जिला बून्दी शाखा प्रबन्धक महोदय, शाखा नैनवॉ जिला बून्दी।
18. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा समिधी जिला बून्दी शाखा प्रबन्धक महोदय, शाखा समिधी जिला बून्दी।

––प्रत्यार्थीगण––

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:52:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Reader/Decision/2021

Scanned with CamScanner

निर्णय दिनांक 30.11.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम रामपुरिया पटवार मण्डल मानपुरा तहसील नैनवां में कृषि भूमि खाता संख्या 77 के खसरा संख्या 228 रकबा 0.7038 हैक्टेयर व खसरा संख्या 231 रकबा 0.5420 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.2458 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण व प्रत्यार्थी 1 के संयुक्त आधिपत्य एवं खातेदारी कृषि भूमि स्थित है, खाता संख्या 79 के खसरा संख्या 336 रकबा 0.4369 हैक्टेयर भूमि प्रत्यार्थीगण संख्या 2 लगायत 6 के संयुक्त आधिपत्य एवं खातेदारी कृषि भूमि स्थित है तथा खाता संख्या 90 के खसरा संख्या 312 रकबा 1.0760 हैक्टेयर भूमि प्रत्यार्थीगण संख्या 7 लगायत 13 के संयुक्त आधिपत्य एवं खातेदारी कृषि भूमि स्थित है । यह कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 228 में आने जाने, बैल गाडी, हल, कुली व ट्रेक्टर–ट्रोली आदि उपकरण लाने ले जाने का सदैव रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ता खसरा संख्या 335 से होकर खसरा संख्या 336 व 312 के बीच की पूर्व पश्चिम उत्तरी ओर की मेर के दोनों तरफ होकर है। इसके बाद प्राथीगण अपनी अन्य कृषि भूमि खसरा संख्या 231 में आते जाते है। इस रास्ते को परिशिष्ट "अ" में अ बिन्दू से ब बिन्दू तक लाल लाईनो से दर्शाया गया है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। यह कि अप्रार्थी संख्या 2 रमेशचन्द व अप्रार्थी संख्या 7 जगदीश ने दिनांक 11.07.2021 को दानों तरफ अपने अपने खेतों में पत्थर के चीरे गाडकर 12 फीट चौडे रास्ते को सकंडा कर दिया है जिसमें केवल पैदल निकला जा सकता है अन्य कोई साधन आ जा नहीं सकते है। यह प्रार्थना पत्र का कारण है। अतः प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण को अपने खाते की भूमि खसरा संख्या 228 पर आने जाने,बैल गाडी, हल, कुली, ट्रेक्टर–ट्रोली व कृषि उपज लाने ले जाने के लिऐ खसरा संख्या 336 व 312 के बीच की मेर के दोनों तरफ होकर, जिसे परिशिष्ट "अ" में अ बिन्दू से ब बिन्दू तक लाल लाईनो से दर्शाया गया है, 15 फिट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा में कायम करवाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थीगण नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा शपथ–पत्र आदि पेश किये।

रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 228 पर चाहे गए रास्ता हेतु खसरा संख्या 335 गे0 मु0 रास्ता से खसरा संख्या 336 के दक्षिण से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रार्थीगण की भूमि तक पहुंचने हेतु अन्य कोई रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है। अतः प्रस्तावित रास्ता के लिए खसरा संख्या 336 रकबा 0.4369 हैक्टेयर मे से 36 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 72 वर्ग गठ्ठा = 3136 वर्ग फीट अर्थात 0.0291 हैक्टेयर भूमि दिया जाना प्रस्तावित है जो प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 228 में पहुंचता है जिसे परिशिष्ट "क" में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कोर्ट गंभीरा में पेश हुई। उपस्थित पक्षकारान की प्रार्थना पत्र में बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। अतः ग्राम रामपुरिया पटवार मण्डल मानपुरा तहसील नैनवां में कृषि भूमि खाता संख्या 77 के खसरा संख्या 228 रकबा 0.7038 हैक्टेयर भूमि पर पहुंचने के लिए खसरा संख्या 335 गे0 मु0 रास्ता से खसरा संख्या 336 के दक्षिण से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया जाता है प्रस्तावित रास्ता अनुसार खसरा संख्या 336 रकबा 0.4369 हैक्टेयर मे से 36 गठ्ठा • 2 गठ्ठा = 72 वर्ग गठ्ठा = 3136 वर्ग फीट अर्थात 0.0291 [illegible] "क" में लाल स्याही से अंकित किया गया है, के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम [illegible] के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उतनी भूमि [illegible] राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम कि[illegible] को परिशिष्ट 'क' नाम दिया गया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:52:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

न्यायालय निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके पर रास्ता बहाल कर नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

उपखण्ड मजि.
नैनवाँ (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.01.21 15:52:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner